झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।
फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0–nrhmjharkhand3@gmail.com

आदेश सं0 : 9/RCH-485/18- 3614 (Rom) राँची, दिनांक 11.12.18

कार्यालय आदेश

निदेशानुसार, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति अन्तर्गत कार्यरत महिला कर्मियों के कार्यस्थल में सम्मान को बनाए रखने हेतु कार्यस्थल कानून, 2012 अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में महिलाएँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है –

1. किसी महिला पर शारीरिक सम्पर्क के लिए दबाव डाला जाता है या फिर अन्य तरीकों से उस पर ऐसा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा या बनाया जाता है।
2. किसी भी सहकर्मी, वरिष्ठ या किसी भी स्तर के कार्मिक द्वारा उससे यौन संबंध बनाने के लिए अनुरोध किया जाता है या उस पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला जाता है।
3. किसी भी महिला की शारीरिक बनावट, उसके वस्त्रों आदि को लेकर भद्दी, अशालीन टिप्पणियाँ की जाती हैं तो यह भी कामकाजी महिला के अधिकारों का हनन है।
4. किसी भी महिला को किसी भी तरह से अश्लील और कामुक साहित्य दिखाया जाता है या कोशिश की जाती है।
5. किसी भी तरह से मौखिक या अमौखिक तरीके से यौन प्रकृति का अशालीन व्यवहार किया जाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य भी स्थितियाँ हो सकती है।

राज्य मुख्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों के सम्मान की सुरक्षा हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जो उपरोक्त उल्लेखित स्थितियों की स्वतंत्र जाँच कर कार्रवाई करेंगी।

1. श्रीमती सुमन पाठक, प्रशासी पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. डॉ0 पुष्पा मारिया बेक, प्रभारी, आई0 ई0 सी0 कोषांग	–	सदस्य
3. श्रीमती अकाय मिंज, SPC-VSRC	–	सदस्य
4. श्रीमती संज्ञा सिंह, Entomologist-NVBDCP	–	सदस्य
5. UNICEF से नामित एक सदस्य	–	सदस्य
6. JHAPIEGO से नामित एक सदस्य	–	सदस्य

उपरोक्त पर अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

11/12/18

(प्रशासी पदाधिकारी)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राँची, झारखण्ड।

ज्ञापांक 3614 (RCH) दिनांक : 11-12-18

प्रतिलिपि :

1. सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी कोषांग प्रभारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी पदाधिकारी / परामर्शी / कर्मी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

11/12/18

(प्रशासी पदाधिकारी)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राँची, झारखण्ड।